दिल्ली उच्च न्यायालय: नई दिल्ली

ले.पे.अ. 496/2008

निर्णय तिथि: 2 सितम्बर, 2008

दिल्ली नगर निगम ..... अपीलार्थी

के द्वारा: श्री एच. एस. फूलका, वरिष्ठ अधिवक्ता सह
सुश्री सरोज बिदावत, अधिवक्ता

बनाम

रति राम ..... प्रत्यर्थी

कोरम:
माननीय मुख्य न्यायाधीश
माननीय न्यायमूर्ति डॉ. एस. मुरलीधर

1. क्या स्थानीय समाचार पत्र के संवाददाताओं को निर्णय देखने की अनुमति दी जा सकती है? हाँ

2. रिपोर्टर को संदर्भित किया जाना है या नहीं? हाँ

3. क्या निर्णय डाइजेस्ट में प्रकाशित किया जाना चाहिए? हाँ

निर्णय

<u>ले.पे.अ. सं. 496/2008 में सि.वि.आ. सं. 12348/2008 (विलंब)</u>

अपीलार्थी के विद्वान अधिवक्ता को सुनने और आवेदन में बताए गए कारणों के लिए, अपील दायर करने में हुआ विलंब माफ किया जाता है।

आवेदन का निपटान किया जाता है।

<u>ले.पे.अ. सं. 496/2008 व सि.वि.आ. सं. 12347/2008 (रोक)</u>

1. यह अपील विद्वान एकल न्यायाधीश द्वारा रि.या.(सि) सं. 8800/2007 में पारित दिनांक 29 फरवरी 2008 के विरुद्ध निर्दिष्ट है।

2. संक्षिप्त प्रश्न यह है कि क्या दिनांक 22 जुलाई 2005 से पहले सेवानिवृत्त हुए एमसीडी (दिल्ली नगर निगम) कर्मचारी, केंद्रीय सिविल सेवा (सीसीएस) (पेंशन) नियम 1972 (सीसीएस नियम) के तहत पेंशन और ग्रेच्युटी के अलावा ग्रेच्युटी भुगतान अधिनियम 1972 ('अधिनियम') के तहत ग्रेच्युटी के हकदार हैं, जिसे एमसीडी कर्मचारियों पर लागू किया गया था।

3. संक्षिप्त तथ्य यह है कि प्रत्यर्थी की नियुक्ति दिनांक 9 जुलाई 1963 को एमसीडी में हुई थी और वह लगभग 39 वर्ष की सेवा देने के बाद दिनांक 31 जनवरी 2002 को सेवानिवृत्त हुए। यद्यपि प्रत्यर्थी को सेवानिवृत्ति लाभ प्राप्त हुए थे, लेकिन अधिनियम के तहत उसे कोई भुगतान प्राप्त नहीं हुआ था। उसने अधिनियम के तहत नियंत्रण प्राधिकरण ('सीए') के समक्ष एक आवेदन

दायर किया, जिसमें अधिनियम के अनुसार देय अतिरिक्त ग्रेच्युटी राशि का दावा किया गया। दिनांक 11 अक्टूबर 2006 के आदेश द्वारा सीए ने प्रत्यर्थी के पक्ष में दावे का निर्णय किया और अभिनिर्धारित किया कि प्रत्यर्थी को ग्रेच्युटी की राशि का अंतर 33,348 रुपये देय तिथि अर्थात दिनांक 31 जनवरी 2002 से 10% प्रति वर्ष की दर से साधारण ब्याज सहित दिया जाना चाहिए।

4. उक्त आदेश से व्यथित होकर, एमसीडी ने अपील प्राधिकारी के समक्ष अपील दायर की जिसने दिनांक 30 जुलाई, 2007 के आदेश द्वारा अपील को खारिज कर दिया। इसके बाद एमसीडी ने इस न्यायालय में उपर्युक्त रिट याचिका दायर की।

5. विद्वान एकल न्यायाधीश ने ***दिल्ली नगर निगम बनाम धर्म प्रकाश शर्मा (1998) 7 एससीसी 221*** के मामले में उच्चतम न्यायालय के निर्णय पर विचार करने के बाद, सीए के साथ-साथ अपील प्राधिकारी के आदेश की पुष्टि की है।

6. एमसीडी की ओर से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता श्री एच.एस. फूलका ने प्रतिवाद किया कि दिनांक 22 जुलाई 2005 को केंद्र सरकार द्वारा जारी अधिसूचना एमसीडी को अधिनियम की प्रयोज्यता से छूट देती है, जो उस

तारीख को लागू थी जब सीए ने प्रत्यर्थी के आवेदन पर विचार किया था। उन्होंने तदनुसार प्रस्तुत किया कि प्रत्यर्थी के आवेदन पर सीए द्वारा विचार नहीं किया जाना चाहिए था।

7. हमारा विचार है कि यह प्रस्तुतिकरण गलत है। ***धर्म प्रकाश शर्मा*** के मामले में इस अपील में जो सवाल उठता है, वह शामिल था। प्रश्न यह था कि क्या एमसीडी का कोई कर्मचारी अधिनियम के अंतर्गत ग्रेच्युटी के भुगतान का हकदार होगा जबकि एमसीडी ने स्वयं सीसीएस (पेंशन) नियम, 1972 को अपनाया है जिसमें पेंशन के साथ-साथ ग्रेच्युटी के भुगतान के प्रावधान हैं। एमसीडी का यह प्रतिवाद कि कोई कर्मचारी सीसीएस (पेंशन) नियम, 1972 के साथ-साथ अधिनियम दोनों के तहत ग्रेच्युटी की वसूली की मांग नहीं कर सकता है, को यह कहते हुए अस्वीकार कर दिया गया था कि "अधिनियम ग्रेच्युटी के भुगतान के लिए एक विशेष प्रावधान था" और "जब तक कि इसमें कोई प्रावधान नहीं है जो किसी कर्मचारी के लिए इसकी प्रयोज्यता को बाहर करता है जो अन्यथा पेंशन नियमों के प्रावधानों द्वारा शासित होता है, हमारे लिए यह कहना संभव नहीं है कि प्रत्यर्थी ग्रेच्युटी भुगतान अधिनियम के तहत ग्रेच्युटी का हकदार नहीं है।" यह स्पष्ट रूप से अभिनिर्धारित किया गया कि "इसलिए, एमसीडी कर्मचारी ग्रेच्युटी भुगतान अधिनियम के तहत ग्रेच्युटी के भुगतान के हकदार होंगे। केवल इस तथ्य से कि पेंशन नियमों के तहत ग्रेच्युटी

का प्रावधान किया गया है, वह ग्रेच्युटी भुगतान अधिनियम के तहत ग्रेच्युटी का भुगतान पाने के हकदार नहीं हो जाएगा।"

8. इससे पहले इस न्यायालय की एक खंडपीठ ने ***दिल्ली नगर निगम बनाम पद्मा देवी 1986 (52) एफएलआर 372 के मामले में*** निम्नानुसार अभिनिर्धारित किया था :

> "भले ही दिल्ली नगर निगम की कोई निश्चित योजना हो, लेकिन याचिकाकर्ता निगम के कर्मचारियों पर अधिनियम लागू होने में कोई बाधा नहीं है। यह केवल सामान्य बात है जिसे कहा जा सकता है कि एक कर्मचारी को निगम द्वारा बनाए गए विनियमन/पेंशन का लाभ नहीं मिल सकता है, लेकिन अगर उसने ग्रेच्युटी भुगतान अधिनियम के तहत लाभ उठाया है, तो उस हद तक निगम द्वारा बनाए गए विनियमन/पेंशन योजना के तहत उसे लाभ से वंचित कर दिया जाएगा। यदि निगम द्वारा बनाई गई योजना ग्रेच्युटी भुगतान अधिनियम के तहत कर्मचारी को लाभ प्राप्त करने की सीमा तक अधिक लाभ देती है, तो उस स्थिति में उन लाभों को निगम द्वारा तैयार विनियमन/पेंशन की योजना के तहत लाभ का दावा करते समय समायोजित किया जाएगा। कर्मचारी को ग्रेच्युटी भुगतान अधिनियम के साथ-साथ विनियमन/पेंशन योजना के तहत भी पूर्ण लाभ नहीं मिल सकता है। जिस सीमा तक उसे ग्रेच्युटी भुगतान अधिनियम के तहत लाभ प्रदान किया गया है, केवल

> उसी सीमा तक लाभ को निगम द्वारा तैयार किए गए विनियमों/पेंशन की योजना को लागू करते समय समायोजित किया जाएगा। इसी प्रकार, यदि निगम द्वारा तैयार की गई किसी योजना के तहत लाभ ग्रेच्युटी भुगतान अधिनियम में उपलब्ध लाभ से कम है, तो कर्मचारी ग्रेच्युटी भुगतान अधिनियम के तहत अंतर का दावा करने का हकदार होगा।"

उच्चतम न्यायालय द्वारा कानून के सुस्पष्ट विवरण को ध्यान में रखते हुए यह स्पष्ट है कि दिनांक 22 जुलाई, 2005 की अधिसूचना द्वारा अधिनियम की प्रयोज्यता से दिल्ली नगर निगम को प्रदान की गई छूट संभावित थी और इससे पहले सेवानिवृत्त हुए व्यक्ति के अधिकार पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा।

9. इसके बाद यह प्रतिवाद किया गया कि 10% प्रति वर्ष की दर से ब्याज का भुगतान केवल दिनांक 22 जुलाई 2005 की अधिसूचना की तिथि से ही करने का निर्देश दिया जाना चाहिए था। हम इस प्रस्तुतिकरण को भी स्वीकार करने में असमर्थ हैं। वर्ष 1978 में धर्म प्रकाश मामले में उच्चतम न्यायालय के निर्णय के बाद एमसीडी का यह दायित्व था कि वह प्रत्यर्थी को उसकी सेवानिवृत्ति पर अधिनियम के तहत ग्रेच्युटी का भुगतान स्वयं करे। प्रत्यर्थी के लिए इस उद्देश्य के लिए आवेदन करना आवश्यक नहीं था। एमसीडी को वैधानिक रूप से ऐसा करने के लिए बाध्य होने के कारण यह कहते हुए नहीं सुना जा सकता है कि भुगतान करने में देरी के लिए वह जिम्मेदार नहीं है।

परिणामस्वरूप, एमसीडी को कर्मचारी की सेवानिवृत्ति की तिथि से अधिनियम के तहत भुगतान की तारीख तक @ 10% प्रति वर्ष ब्याज का भुगतान करने के निर्देश को गलत नहीं ठहराया जा सकता है।

10. तदनुसार, हमें इस अपील में कोई योग्यता नहीं दिखती और इसे इसी तरह खारिज किया जाता है। लंबित आवेदन को भी खारिज किया जाता है।

मुख्य न्यायाधीश

न्या. एस.मुरलीधर

02 सितंबर, 2008
आर.के.

(Translation has been done through AI Tool: SUVAS)

अस्वीकरण : *देशी भाषा में निर्णय का अनुवाद मुकद्दमेबाज़ के सीमित प्रयोग हेतु किया गया है ताकि वो अपनी भाषा में इसे समझ सकें एवं यह किसी अन्य प्रयोजन हेतु प्रयोग नहीं किया जाएगा/ समस्त कार्यालयी एवं व्यावहारिक प्रयोजनों हेतु निर्णय का अंग्रेज़ी स्वरूप ही अभिप्रमाणित माना जाएगा और कार्यान्वयन तथा लागू किए जाने हेतु उसे ही वरीयता दी जाएगी।*